

Note: - The principal notification number 17/2017 -Union Territory Tax (Rate), dated 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 708 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification number 17/2025-Union Territory Tax (Rate), dated 17th September, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 671(E), dated 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 10/2026-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 948(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिश पर, एतद्वारा पंजीकृत व्यक्ति के निम्नलिखित वर्ग को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (i) किसी रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतकर्ता, जो कि रियायत अवधि के दौरान रियायत प्राधिकारी को प्रचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में, जो ऐसे प्रचालन और रख-रखाव सेवाओं की आपूर्ति पर केन्द्रीय कर का संदाय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रचालन और रख-रखाव खर्चों के संबंध में रियायत करार के अनुसार संधारित एस्करो खाते से प्रभारित या डेबिट की गई राशि पर, उस कर अवधि में करेंगे जिसमें ऐसा खर्च इस प्रकार प्रभारित या डेबिट किया जाता है।

2. **स्पष्टीकरण :-** इस अधिसूचना के प्रयोजन से, -

(i) "रियायत समझौता" का अर्थ टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत एक रियायतकर्ता और रियायत प्राधिकारी के बीच किया गया एक समझौता है, जिसके तहत रियायतकर्ता को राजमार्ग या सड़क अवसंरचना के संबंध में टोल (पथकर) की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के विशेष अधिकार दिए जाते हैं और रियायत अवधि के दौरान ऐसे राजमार्ग या सड़क अवसंरचना का संचालन और रखरखाव करने की आवश्यकता होती है जहां रियायतकर्ता को रियायत शुल्क का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ii) "रियायत प्राधिकारी" का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई जो रियायत समझौते में भाग लेता है।

3. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 10/2026-Central Tax (Rate)

G.S.R. 948(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following class of registered person, namely: -

- (i) Concessionaire under a concession agreement, who supplies operation and maintenance services to the concessioning authority during the concession period,

as the registered persons, who shall pay central tax on the supply of such operation and maintenance services on the amount charged or debited from the Escrow Account, maintained in accordance with the concession agreement, towards operation and maintenance expenses incurred by such registered persons, in a tax period in which such expenditure is so charged or debited.

2. **Explanation:-** For the purpose of this notification,-

(i) "Concession Agreement" means an agreement entered into between a concessionaire and the concessioning authority under the Toll-Operate-Transfer model, whereby the concessionaire is granted the exclusive rights to demand, collect and appropriate toll in respect of a road or highway and is required to operate and maintain such road or highway during the concession period where the concessionaire is required to pay the concession fee upfront;

(ii) "Concessioning authority" means the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity which enters into the Concession Agreement.

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[F. No. 190354/142/2026-TRU Section-CBIC]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 10/2026- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 949(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिश पर, एतद्वारा पंजीकृत व्यक्ति के निम्नलिखित वर्ग को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (i) किसी रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतकर्ता, जो कि रियायत अवधि के दौरान रियायत प्राधिकारी को प्रचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में, जो ऐसे प्रचालन और रख-रखाव सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत कर का संदाय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रचालन और रख-रखाव खर्चों के संबंध में रियायत करार के अनुसार संधारित एस्क्रो खाते से प्रभारित या डेबिट की गई राशि पर, उस कर अवधि में करेंगे जिसमें ऐसा खर्च इस प्रकार प्रभारित या डेबिट किया जाता है।

2. स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन से, -

(i) "रियायत समझौता" का अर्थ टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के तहत एक रियायतकर्ता और रियायत प्राधिकारी के बीच किया गया एक समझौता है, जिसके तहत रियायतकर्ता को राजमार्ग या सड़क अवसंरचना के संबंध में टोल की मांग, संग्रह और विनियोग के विशेष अधिकार दिए जाते हैं और रियायत अवधि के दौरान ऐसे राजमार्ग या सड़क अवसंरचना का संचालन और रखरखाव करने की आवश्यकता होती है जहां रियायतकर्ता को रियायत शुल्क का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ii) "रियायत प्राधिकारी" का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई जो रियायत समझौते में भाग लेता है।

3. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव